



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30042025-262779
CG-DL-E-30042025-262779

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 322]
No. 322]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 29, 2025/वैशाख 9, 1947
NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 29, 2025/VAISAKHA 9, 1947

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 2025

पीएनजीआरबी/वाणि./10-एनजीपीएलटैरिफ(9)/2022(ई-4124).—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) की धारा 61 की उप-धारा (2) के खंड (न) और धारा 11 के खंड (ड.) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइपलाइन शुल्क का निर्धारण) विनियम, 2008 में और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ

- (1) इन नियमों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइपलाइन शुल्क का निर्धारण) संशोधन विनियम, 2025 कहा जाएगा।
- (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइपलाइन शुल्क का निर्धारण) विनियम, 2008 में, -

- (क) अनुसूची ग में, "हजीरा अंकलेश्वर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन प्रणाली" शब्दों के अंत में निम्नलिखित सम्मिलित किया जाएगा, अर्थात् :-

| | | |
|----|-----------------------------|--|
| 10 | इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड | उत्तर-पूर्व प्राकृतिक गैस पाइपलाइन ग्रिड * |
|----|-----------------------------|--|

* इसके चालू होने की तारीख से एनजीजीएस का हिस्सा होगा

(ख) अनुसूची घ के अनुलग्नक 1 में, "जीएसपीएल इंडिया ट्रांस्को लिमिटेड", शब्दों के बाद अंत में निम्नलिखित सम्मिलित जाएगा, अर्थात्: -

| |
|-----------------------------|
| इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड |
|-----------------------------|

अंजन कुमार मिश्रा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./54/2025-26]

पाद टिप्पण : मूल विनियम भारत के राजपत्र (असाधारण) में संख्या जी.एस. आर.807(ई), दिनांक 20 नवंबर, 2008 के तहत प्रकाशित किए गए थे और जी.एस.आर. 986(ई), दिनांक 20 दिसंबर, 2010 और, फा. सं. पीएनजीआरबी/एम(सी)/11/फाइनल टैरिफ फीलिंग, दिनांक 30 मई, 2012 और पीएस/सचिव./एम(सी)/2012, दिनांक 13 सितम्बर, 2012. और, फा. सं. पीएनजीआरबी/ एम(सी)/48, दिनांक 17 फरवरी, 2014 और, फा. सं. पीएनजीआरबी/एम(सी)/100, दिनांक 27 फरवरी, 2014 और, फा. सं. एल-विविध/VII/20017, दिनांक 01 जनवरी, 2015 और, पीएनजीआरबी/एम(सी)/110, दिनांक 08 जनवरी, 2016, पीएनजीआरबी/वाणि./2-एनजीपीएल टैरिफ (3)/2019, दिनांक 27 मई, 2019 और फा. सं. पीएनजीआरबी/ वाणि./2-एनजीपीएल/टैरिफ खंड-2, दिनांक 27 मार्च, 2020 एवं फा सं. पीएनजीआरबी/वाणि./2- एनजीपीएल /टैरिफ (3)/2014 खंड-IV (भाग-1) (पी-1439) दिनांक 23 नवंबर, 2020 और फा सं. पीएनजीआरबी/ वाणि./2- एनजीपीएल/टैरिफ (3)/2014 खंड-IV (भाग-1) (पी-1439) दिनांक 23 नवंबर, 2020, पीएनजीआरबी/वाणि./2-एनजीपीएल/टैरिफ (3)/2019 खंड-IV (पी-4121) दिनांक 17 नवंबर, 2022, पीएनजीआरबी/वाणि./10-एनएनजीपीएल टैरिफ (11)/2022 (पी-4142) दिनांक 29 मार्च, 2023 और पीएनजीआरबी/वाणि./13-विनि.(ई-4676) दिनांक 15.4.2024 द्वारा संशोधित किए गए थे।

PETROLEUM AND NATURAL GAS REGULATORY BOARD NOTIFICATION

New Delhi, the 25th April, 2025

PNGRB/Com/10-NGPLTariff(9)/2022(E-4124).—In exercise of the power conferred by clause (t) of subsection (2) of section 61 and power conferred under clause (e) of section 11 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board hereby makes the following regulations further to amend the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Natural Gas Pipeline Tariff) Regulations, 2008, namely:

1. Short title and commencement.

- (1) These regulations may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Natural Gas Pipeline Tariff) Amendment Regulations, 2025.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Natural Gas Pipeline Tariff) Regulations, 2008, —

- (a) In Schedule C, after the words, "Hazira Ankleshwar Natural Gas Pipeline System", at the end the following shall be inserted, namely: —

| | | |
|-----|-------------------------------|---------------------------------------|
| 10. | Indradhanush Gas Grid Limited | North-East Natural gas Pipeline Grid* |
|-----|-------------------------------|---------------------------------------|

* shall be part of NGGS from date of its commissioning

- (b) In Annexure 1 to Schedule D, after the words, "GSPL India Transco Limited", at the end the following shall be inserted, namely: -

| |
|-------------------------------|
| Indradhanush Gas Grid Limited |
|-------------------------------|

ANJAN KUMAR MISHRA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./54/2025-26]

Foot Note: Principal regulation were published in the Gazette of India (Extraordinary) under No. G.S.R.807(E), dated the 20th November, 2008 and amended *vide* G.S.R. 986(E), dated 20th December, 2010 and, F. No. PNGRB/M(C)/11/Final Tariff Filing, dated 30th May, 2012 and, PS/Secy./M(C)/2012, dated 13th September, 2012. and, F. No. PNGRB/M(C)/48, dated 17th February, 2014 and, F. No. PNGRB/M(C)/100, dated 27th February, 2014 and, F. No. L-MISC/VI/I/20017, dated 01st January, 2015 and, PNGRB/M(C)/110, dated 08th January, 2016, PNGRB/COM/2-NGPL Tariff (3)/2019, dated 27th May, 2019, and F. No. PNGRB/COM/2-NGPL/Tariff (3)/2019 Vol-II, dated 27th March, 2020 and F. No. PNGRB/COM/2-NGPL/Tariff (3)/2014 Vol-IV(Part-1) (P-1439) dated 23rd November, 2020 and F. No. PNGRB/COM/2-NGPL/Tariff (3)/2014 Vol-IV(Part-1) (P-1439) dated 23rd November, 2020, PNGRB/COM/2-NGPL/Tariff (3) /2019 Vol-IV (P-4121) dated 17th November, 2022, PNGRB/Com/10-NGPL Tariff (11)/2022 (P-4142) dated 29th March, 2023 and PNGRB/Com/13-Reg (1)/2023 (E-4676) dated 15.04.2024.